□□□□□□□□ □□□□□□□

नई दल्लिी□ सुप्रीम कोर्ट ने दल्लिी हाई कोर्ट से कहा है कि दल्लिी के पूर्व पुलसि आयुक्त नीरज कुमार और अन्य के खलिाफ प्रवर्तन नदिेशालय के अधकिारी की अवमानना याचकि पर न□ सरि से फैसला कयिा जा□□ इस अधकिारी का आरोप है कि नीरज कुमार और अन्य ने उसके खलिाफ झूठे आरोप लगा□□

जसिकी वजह से उन्हें 36 दनि सलाखों के पीछे गुजारने प□□ शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अशोक कुमार अग्रवाल की अवमानना याचकि खारजि करते वक्त सभी संबंधति तथ्यों पर गौर नहीं कयिा इसलि□ उसे न□ सरि से इस पर फैसला करना चाहि□□

न्यायमूर्त बी□स चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा- हमारी सुवचारति राय है कि दोनों ही पक्षों ने तथ्यों और कानूनी मुद्दों को उठाया था□ हाई कोर्ट को सभी संबंधति तथ्यों, वशिषकर जब अपीलकर्ता (अग्रवाल) ने आरोप लगाया था कि प्रतविादयिों ने अदालत को गुमराह करके उसकी आजादी को खतरे में डालकर न्यायकि प्रक्रयिा में हस्तक्षेप कयिा, पर गौर करना चाहि□ था□ परणिामस्वरूप हम फैसला और आदेश रद्द करते हु□ पक्षों के सभी तथ्यात्मक और कानूनी बदिुओं का जवाब देने के लि□ मामला न□ सरि से फैसले के लि□ हाई कोर्ट वापस भेज रहे हैं□

इस अधकिारी का कहना था कि जांच अधकिारयिों ने महत्त्वपूर्ण तथ्य अदालत से छपिा□□ जसिकी वजह से उसे 36 दनि न्यायकि हरिासत में बतिाने प□□ शीर्ष अदालत ने अलग से अपने फैसले में अग्रवाल के खलिाफ अनुशासनकि कार्रवाई वापस लेने का आदेश दयिा है□ अग्रवाल को 13 साल पहले नलिंबति कयिा गया था□ अग्रवाल ने गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाते हु□ अवमानना याचकि दायर की थी□ अग्रवाल को दो पासपोर्ट रखने और 10 से 14 फरवरी 1999 के दौरान सगिापुर की यात्रा करने के शक में गरिफ्तार कयिा गया था□ भारतीय अधकिारयिों की प□ताल के दौरान अग्रवाल की यात्रा की पुष्टि इंटरपोल सगिापुर ने की थी□ लेकनि बाद में इंटरपोल ने उन्हें बताया कि उनकी दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत थी□

दल्लिी के □क कारोबारी ने अग्रवाल के खलिाफ शकियत की थी जसिमें आरोप लगाया गया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसे फंसाया जा रहा है□ अग्रवाल की तलाश में इंटरपोल के जरि□ नोटसि जारी कयिा गया था क्योंकि वह फरार था□ अग्रवाल को 23 दसिंबर 1999 को सहारनपुर से गरिफ्तार कयिा गया था□ जहां वह □क होटल में छद्म नाम से रह रहा था□